

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-3252/9.1.2017-51टी.ए./15
लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जिला गोरखपुर के प्रस्तावित संक्रमणशील क्षेत्र के संबंध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या-2729/9-1-2017-51टी.ए./15, दिनांक 18 मई, 2017 प्रकाशित की गयी थी,

और चूँकि, कोई आपत्ति और सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जिला गोरखपुर के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

उत्तर गाटा संख्या	कस्बा संग्रामपुर का 127 ग्राम टेकवार के 1,2,4,14,18,19,20,21,22,31,32,33,35,36,37
दक्षिण गाटा संख्या	कस्बा संग्रामपुर के 2109, 2121, 2190, 2194, 2191, 2158, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2288, 2290, 3055, 2897, 2896, 2867, 2865, 2864, 2852, 2853, 2854, 2855, 2496, 2497 ग्राम टेकवार के 309, 343, 344,
पूरब गाटा संख्या	कस्बा संग्रामपुर के 815, 1231, 2705, 2706, 2707, 2709, 2710, 2666, 2716, 2665, 2679, 2683, 3024, 3025, 3028, 3030, 3033, 3034, 3035, 3036, 3051, 3052, 3056, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2315, 2314, 2306, 2305, 2298, 2297, 2296, 2292, 2293 चिहारी उर्फ काछी के 142,
पश्चिम गाटा संख्या	कस्बा संग्रामपुर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 40, 43, 122, 2061 ग्राम टेकवार के 192, 194, 195, 196, 200, 211, 212, 213, 214, 201, 232, 233, 234, 254, 266, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 296 सुहोपार के 80, 81, 82, 83, 85, 111, 112, 113, 115, 135, 140

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3252/9-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 29 जून, 2017 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-3252/9.1.2017 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) आयुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर।
- ✓(2) जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASSAN

Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no-3252/9-1-2017-51TA/15 dated; 29 June, 2016.

NOTIFICATION

No-3252/9-1-2017-51TA/15

Lucknow- Dated; 29 June, 2015

Whereas Government notification no-2729/9-1-2017-51T.A./15 dated; May 18, 2017 was published to invite objections and suggestions on the proposed transitional area of Nagar Panchayat Kasba Sangrampur urf Unwal in District Gorakhpur as required under sub section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916),

And whereas no objection and suggestion has been received within the stipulated time;

Now, therefore, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to notify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat Kasba Sangrampur urf Unwal in District Gorakhpur.

